जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, गौतमबुद्धनगर में शासन द्वारा संचालित योजनायें।

1. **राज्य सरकार की पूर्वदशम/शुल्कप्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति योजनाः**— पिछड़े वर्ग के समस्त छात्र/छात्राओं हेतु पूर्वदशम छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 9 व 10) में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु त्वरित रूप से लाभान्वित किये जाने के लिये छात्रवृत्ति हेतु शासन द्वारा संचालित बेवसाईट www.scholarship.up.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन करने से लेकर भुगतान करने के मध्य समस्त प्रकियागत कार्यवाही ऑनलाईन किये जाने का प्राविधान है। जिसके अनुसार उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कालेजों में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं को कक्षा 9 व 10 में ऐसे सभी अभ्यार्थी जिनके माता–पिता/ अभिभावक की समस्त स्त्रोतों में आय सीमा रू0 2 लाख से अधिक न हो छात्रवृत्ति आवेदन के पात्र माने जाते है। छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति का चयन शासन द्वारा गठित छात्रवृत्ति समिति द्वारा किया जाता है।

2. **राज्य सरकार की दशमोत्तर/शुल्कप्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति योजनाः**— पिछड़े वर्ग के समस्त छात्र/छात्राओं हेतु दशमोत्तर/शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11–12 व समूह 1,2,3, व 4) में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु त्वरित रूप से लाभान्वित किये जाने के लिये छात्रवृत्ति हेतु शासन द्वारा संचालित बेवसाईट www.scholarship.up.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन करने से लेकर भुगतान करने के मध्य समस्त प्रकियागत कार्यवाही ऑनलाईन किये जाने का प्राविधान है। जिसके अनुसार उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कालेजों में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं के ऐसे सभी अभ्यार्थी जिनके माता–पिता/ अभिभावक की समस्त स्त्रोतों में आय सीमा रू0 2 लाख से अधिक न हो छात्रवृत्ति आवेदन के पात्र माने जाते है। छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति का चयन शासन द्वारा गठित छात्रवृत्ति समिति द्वारा किया जाता है।

3. **शादी अनुदान योजनाः**— विभाग द्वारा संचालित सम्बंधित योजना के अन्तर्गत पात्रता हेतु पिछड़ा वर्ग के आवेदक गरीबी रेखा की सीमा के अन्तर्गत होने चाहिये, अर्थात शहरी क्षेत्र में अधिकतम आय रू0 56,460.00 वार्षिक तथा ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम आय रू0 46,080.00 वार्षिक होनी चाहिये। पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की बेबसाईट www.backwardwelfare.up.nic.in पर लाभार्थी द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होता है, व अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नही किये जाते है। आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात तक करना अनिवार्य है। विधवा, विकलांग आवेदकों को प्राथमिकता दिये जाने का प्रविधान है। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यार्थी का आय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक की कापी,

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

लड़की की उम्र का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इस योजनान्तर्गत लड़की की शादी होने पर रू0 20.000.00 की सहयोग धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।

4. **ओ–लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनाः–** इस योजना के अन्तर्गत पिछडे वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को भारत सरकार से अधिकृत संस्था DOEACC से मान्यता प्राप्त कार्यरत संस्थाओं द्वारा **"ओ–लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण"** दिये जाने की योजना उ0प्र सरकार द्वारा संचालित है, जिसके अन्तर्गत संस्था को अधिकतम प्रति लाभार्थी रू0 15,000.00 (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) की आर्थिक सहायता प्रशिक्षण हेतु प्रदान की जाती है। कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु इच्छुक पिछडे वर्ग के युवक/युवतिया आवेदन पत्र विभाग से प्राप्त करने के उपरान्त आवेदन पत्र भर कर विभाग में ही जमा किये जाते है। प्रशिक्षणार्थी का चयन पात्रता के आधार पर किया जाता है।

इस योजना के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक अर्हतायें निम्न प्रकार होती हैः–

1. इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले प्रदेश के पिछड़े वर्ग के ऐसे शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को **"ओ लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण"** अनुमान्य होगा जिनके माता–पिता/अभिभावक की निर्धारित तिथि के अन्तर्गत वार्षिक आय ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में रू0 1,00,000.00 से अधिक न हो।
2. कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम शैक्षिण अर्हता (10+2), इण्टरमीडिएट होना अनिवार्य है।
3. प्रशिक्षार्थी की अधिकतम आयु आवेदन पत्र आमंत्रित की तिथि को 35 वर्ष से अधिक न हो।
4. प्रशिक्षणार्थी बेरोजगार हो, तथा किसी शैक्षिण संस्था से छात्रवृत्ति तथा अन्य कोई लाभ प्राप्त न कर रहा हो।
5. ओ–लेबल कम्प्यूटर प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष होगी।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
गौतमबुद्धनगर